

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,  
कृषि उत्पादन आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक: 24 जुलाई, 2017

विषय: फसल ऋण मोचन योजना का जनपद स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

J.D.A (STAFF)

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर संस्थागत वित्त, कर निबंधन अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या: 540 बी/क0नि0-6-2017-01(बी)/2017 दिनांक 24 जून, 2017 एवं शासनादेश संख्या: 565बी/ क0नि0-6/2017 दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के फसल ऋण मोचन की कार्य योजना एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया है। उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा योजना का स्वरूप, किसानों की पात्रता, क्रियान्वयन की रूप-रेखा, हित धारकों के रूप में कृषि विभाग, संस्थागत वित्त विभाग, राजस्व विभाग, एन0आई0सी0, ऋण प्रदाता संस्थाओं आदि की भूमिका एवं दायित्व तथा योजना के सम्बन्ध में शिकायतों के निवारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. उक्त योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिनांक 15 जुलाई, 2017 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि योजना के क्रियान्वयन में जिला स्तरीय समिति द्वारा समस्त लाभार्थियों की अर्हता के विषय में यद्यपि उपर्युक्त पूर्व निर्गत शासनादेशों में समुचित सत्यापन किए जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं तथापि इस सम्बन्ध में अतिरिक्त सावधानी हेतु निम्न कैटेगिरी के डाटा की पृथक सूची तैयार कर गहनता से अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति द्वारा राजस्व एवं बैंकिंग नियमों एवं ऋण मोचन योजना के प्राविधानों के आलोक में शतप्रतिशत सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय:-

- जो प्रकरण वैलिडेशन के दौरान योजना के प्राविधानों से आच्छादित नहीं हैं।
- ऋण की बकाया धनराशि तीन लाख रुपये से अधिक है।
- किसान का नाम बैंक में तथा भू-लेख में अलग-अलग प्रदर्शित हो रहा है।
- खतौनी के अनुसार भूमि का प्रकार 1-क, 2 या 4-क नहीं है।
- किसान की भूमि तथा ऋण देने वाले बैंक अलग-अलग जनपदों में हैं।

102

24.07.17

विदेव

०० सी० एवं अन्य  
०० ०० ००००

24.07.2017

24.07.2017

- जिन ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रियाधीन है एवं उक्त कारण से भूमि का डाटा भू-लेख में नहीं है।
- जिन किसानों के खातों में बैंक द्वारा भू-लेख की प्रविष्टि नहीं करायी गयी है।
- ऐसे खाते जिनमें 'आधार' नम्बर की डुप्लीकेसी है।
- ऐसे खाते जहाँ पर डाटा एनपीए तथा नॉन-एनपीए दोनों प्रकार के पाए गए हैं।
- ऐसे खाते जिनमें बैंक शाखा, आईएफएससी, केसीसी नम्बर, नाम, बकाया धनराशि व प्रतिभुगतान की धनराशि डुप्लीकेसी है।

3. उक्त के अतिरिक्त ऐसे समस्त प्रकरण:-

- (क) जिन खातों में दिनांक 31 मार्च, 2017 को बकाया शून्य या ऋणात्मक हैं,
- (ख) ऐसे खाते जिनमें बैंक स्तर पर एक्टिविटी कोड फसल ऋण से संबंधित नहीं है,
- (ग) ऐसे खाते जिनमें ऋण की स्वीकृति तिथि 31 मार्च, 2016 के बाद की है,
- (घ) किसान की जमीन दो हेक्टेयर से अधिक है,

उपर्युक्त (क) (ख) (ग) एवं (घ) के विषय में बैंक की संबंधित शाखा के माध्यम से समुचित प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना (Scheme) में विहित मानदण्डों के अनुरूप स्थिति स्पष्ट कराते हुए जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रेषित सुस्पष्ट प्रस्ताव पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डल स्तरीय समिति (एमएलसी) द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

4. उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक से संबंधित डाटा का भली-भाँति परीक्षण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाये।

कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं/निर्देशों के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
( राज प्रताप सिंह )  
कृषि उत्पादन आयुक्त!

संख्या: 2524 (1) / 12-2-2017 तददिनांक।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, लखनऊ।
4. निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,  
( पवन कुमार )  
विशेष सचिव।